

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम पीपलू
भागचन्द्र वगै० बनाम रामलाल वगै०
किरम मुकदमा-प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा
प्रकरण संख्या 120 सन् 2022

8/11/22
2022/158

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर, तारीख अहकाम जो इस हुकम की तारीख में जारी हुए
04.10.22	<p>अधिवक्ता प्रार्थीगण ने मय वाद प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया कि भूमि आराजी ख0न0 171, 1716, 1719, 172, 1866, 1867, 1868, 1869, 188, 189, 1897, 1898, 1908, 1909, 2090, 2096, 2098, 2122, 2169, 2173, 2183, 2223, 2318, 2420 कुल किता 24 कुल रकबा 5.5387 हैक्ट. वाके ग्राम कठमाना व ख0न0 30 वाके ग्राम बेगमपुरा पटवार हल्का कठमाना तह0 पीपलू जिला टोक में स्थित है। जिसके प्रार्थीगण रिकॉर्डेड खातेदार एक मात्र काबिज काश्तकार है। प्रार्थीगण उक्त भूमि के मालिक, स्वामी हैं। जिस पर शांतिपूर्वक काबिज हैं एवं काश्त करते चले आ रहे हैं। अप्रार्थीगण का उक्त भूमि से दूर दूर तक कोई संबंध व सरोकार नहीं है। परन्तु अप्रार्थीगण झगडालू गिरोहबंद, ताकतवर व्यक्ति है। जो ताकत व लठ के बल पर प्रार्थीगण को डरा धमकाकर जबरन उक्त भूमि पर कब्जा करने की नियत से प्रार्थीगण की भूमि को हड़पना चाहते हैं तथा जबरदस्ती के बल पर प्रार्थीगण की भूमि पर काबिज होना चाहते हैं। जिसका अप्रार्थीगण को कानूनी रूप से कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। जिसका प्रतिपक्षीगण को कोई वैधानिक अधिकार नहीं है। अतः प्रतिपक्षीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत हैं।</p> <p>हमने बहस प्रार्थीगण एक तरफा सुनी। दौराने बहस में प्रार्थीगण अधिवक्ता ने निवेदन किया कि भूमि आराजी ख0न0 171, 1716, 1719, 172, 1866, 1867, 1868, 1869, 188, 189, 1897, 1898, 1908, 1909, 2090, 2096, 2098, 2122, 2169, 2173, 2183, 2223, 2318, 2420 कुल किता 24 कुल रकबा 5.5387 हैक्ट. वाके ग्राम कठमाना व ख0न0 30 वाके ग्राम बेगमपुरा पटवार हल्का कठमाना तह0 पीपलू जिला टोक में स्थित है। जिसके प्रार्थीगण रिकॉर्डेड खातेदार एक मात्र काबिज काश्तकार है। प्रार्थीगण उक्त भूमि के मालिक, स्वामी हैं। जिस पर शांतिपूर्वक काबिज हैं एवं काश्त करते चले आ रहे हैं। अप्रार्थीगण का उक्त भूमि से दूर दूर तक कोई संबंध व सरोकार नहीं है। परन्तु अप्रार्थीगण झगडालू गिरोहबंद, ताकतवर</p>	

उप खण्ड अधिकारी
C:\Users\SDM Office\Desktop\sdo office\Court\Stay.docx
पीपलू (टोक)

1

18.07.2024 पेश हो।
Raj

व्यक्ति है। जो ताकत व लठ के बल पर प्रार्थीगण को डरा धमकाकर जबरन उक्त भूमि पर कब्जा करने की नियत से प्रार्थीगण की भूमि को हड़पना चाहते हैं तथा जबरदस्ती के बल पर प्रार्थीगण की भूमि पर काबिज होना चाहते हैं। जिसका अप्रार्थीगण को कानूनी रूप से कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। जिसका प्रतिपक्षीगण को कोई वैधानिक अधिकार नहीं है। अतः प्रतिपक्षीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है।

प्रकरण में प्राइमाफेसीयो केस प्रार्थीगण के हक में प्रतीत होता है। पत्रावली में संलग्न जमाबंदी अनुसार प्रार्थीगण उक्त वर्णित आराजीयात के खातेदार एवं काबिज काश्तकार है। अतः प्रतिपक्षी संख्या 01 ता 07 को अस्थायी निषेधाज्ञा से आगामी आदेश तक पाबन्द किया जाता है कि वे उक्त वर्णित आराजीयात में प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में मजामहत व मदाखलत नहीं करे एवं जोर जबरदस्ती प्रार्थीगण को उक्त आराजीयात से बेदखल नहीं करे। यदि इस आदेश के जारी होने में आपत्ति हो तो नियत तिथि पर उपस्थित होकर उज्र पेश करे। पत्रावली दर्ज रजिस्टर होकर दिनांक 03.11.2022 को पेश हो।

उप खण्ड अधिका
पीपलू (टॉक)

03 11 पी.ओ. साहब अवकाश / स्थानान्तरण / भ्रमण
पर होने से दिनांक 05/01/23 को पेश हो

Ram

05/23 पी.ओ. साहब अवकाश / स्थानान्तरण / भ्रमण
पर होने से दिनांक 15/03/23 को पेश हो

03 अधिवक्ताओं ने कन्ट्रोलिंग/हड़पना/कार्य स्थगित रख
15/23 वास्ते दिनांक 18/05/23 को पेश हो

Ram

185 पी.ओ. साहब अवकाश / स्थानान्तरण / भ्रमण
पर होने से दिनांक 08/06/23 को पेश हो

06 पी.ओ. साहब अवकाश / स्थानान्तरण / भ्रमण
पर होने से दिनांक 07/07/23 को पेश हो

FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज्ञ अदालत..... मुकाम.....

नाम..... रामलाल

किरम मुकद्दमा..... नं..... 120 वर्ष..... 2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मस इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
27/03	पत्रावली पेश हुई सम्मन नालबाना पेश होकर पत्रावली दिनांक 26-9-23 को पेश हो।	
26/03	09 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी/प्रार्थी उपस्थित/पी.ओ साहब राजकार्य में व्यस्त/अवकाश पर/स्थानान्तरित होने के कारण पत्रावली गत आदेशिका अनुसार दिनांक 28.01.23.....पेश हो। Ram	
28/03	11 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी/प्रार्थी उपस्थित/पी.ओ साहब राजकार्य में व्यस्त/अवकाश पर/स्थानान्तरित होने के कारण पत्रावली गत आदेशिका अनुसार दिनांक 23/01/24.....पेश हो। Ram	
23/01	01 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी/प्रार्थी उपस्थित/पी.ओ साहब राजकार्य में व्यस्त/अवकाश पर/स्थानान्तरित होने के कारण पत्रावली गत आदेशिका अनुसार दिनांक 07.03.24.....पेश हो। Ram	
07/01	03 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी/प्रार्थी उपस्थित/पी.ओ साहब राजकार्य में व्यस्त/अवकाश पर/स्थानान्तरित होने के कारण पत्रावली गत आदेशिका अनुसार दिनांक 17.05.24.....पेश हो। Ram	
17/01	05 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी/प्रार्थी उपस्थित/पी.ओ साहब राजकार्य में व्यस्त/अवकाश पर/स्थानान्तरित होने के कारण पत्रावली गत आदेशिका अनुसार दिनांक 18.07.2024 पेश हो। Ram	

तारीख
हिसाब

हिसाब या कार्यवाही का दिनांक

18/24

पत्रावली पत्रा हुई। अधिवक्ता कबी/प्राची
उपस्थित/पी.ओ साहब राजकार्य में व्यस्त।
अवकाश पर/स्थानान्तरित होने के कारण
पत्रावली तत् आवश्यकता अनुसार दिनांक

24/9/24 पेश हो।
Ram

24/24

पत्रावली पत्रा हुई। अधिवक्ता कबी/प्राची
उपस्थित/पी.ओ साहब राजकार्य में व्यस्त।
अवकाश पर/स्थानान्तरित होने के कारण
पत्रावली तत् आवश्यकता अनुसार दिनांक

26.11.2024...पेश हो।
Ram

26/24

पत्रावली पत्रा हुई। अधिवक्ता कबी/प्राची
उपस्थित/पी.ओ साहब राजकार्य में व्यस्त।
अवकाश पर/स्थानान्तरित होने के कारण
पत्रावली तत् आवश्यकता अनुसार दिनांक

23.01.25...पेश हो।
Ram

23/25

पत्रावली पत्रा हुई सम्मान तलबाना जारी
20-1-25 की पत्रा होकर 1-4-25 की
पत्रा हो।

one

04/25

पत्रावली पत्रा हुई। अधिवक्ता कबी/प्राची
उपस्थित/पी.ओ साहब राजकार्य में व्यस्त।
अवकाश पर/स्थानान्तरित होने के कारण
पत्रावली तत् आवश्यकता अनुसार दिनांक

12.06.25...पेश हो।
Ram

10/25

पत्रावली पत्रा हुई अधिवक्ता प्राची उपस्थित
सम्मान तलबाना जारी 20-1-25 की पत्रा होकर
दिनांक 5-8-25 की पत्रा हो।

58/25

पत्रावली पत्रा हुई अधिवक्ता प्राची उपस्थित
सम्मान तलबाना जारी 20-1-25 की पत्रा होकर
दिनांक 24-10-25 की पत्रा हो।

तारीख हमम	हुकम या कार्यवाही मय इतिहासिल जन	सम्बन्ध या तारीख अहकाम जो इत हुकम की सम्बन्ध में जारी हुए
24/10 25	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वकील/प्राची उपस्थित/पीओ साहब राजकार्य में व्यस्त अपक्ष पर/स्थानान्तरित होने के कारण पत्रावली 10/12/25..... पेश है। <i>Ran</i>	
10/12 25	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्राची उप. मूल बाह विद्वां किये जाने के कारण पत्र में अग्रिम कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। अतः प्राप्त इसी वर खारिज किया जाता है। पत्रावली निर्णित शुमार हफ्तर दायित्व है एवं निपमानुसार नम्बर से कम है। <i>Ami</i>	